ीया अपार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते एवं पटवारी रिर्पोट पेश करती केवल ल उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र में झुठे कथन तायद े है इसी आधार भी उक्त प्रार्थनापत्र काबिलः खारिज के है। जब अप्रार्थी संख्या 1 ीया की भूमि में न तो प्रवेश किया न ही कोई खंदक से छेडछाड़ की तो प्रार्थया की तेदारी कब्जे काश्त की भूमि दखलअंदाजी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नी अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने हेतू किसी भी अन्य खसरा के खातेदारी की ई आवश्यकता नहीं होती है केवल प्रार्थनापत्र पेश करने की गरज से झुठे कथन तायद े है। प्रार्थीया की भूमि का पटवारी हल्का से पेमाईश करने हेतू निवेदन करने बाबत ार्थी संख्या 1 को कोई जानकारी नहीं है पटवारी हल्का ने प्रार्थीया को सहखातेदारों सहमति होने पर सीमाज्ञान किया जा सकने का कथन पूर्णतया गलत व बेनियाद है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या । न तो सहखातेदार है न ही प्रार्थीया एवं अप्रार्थी ख्या 1 के सामलाती भूमि है। प्रार्थीया ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश ने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को कोइ जानकारी नहीं है। आज दिन तक पटवारी हल्का ा कार्यवाही नही करने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को कोई जानकारी नहीं है क्योकि ीया की भूमि में न तो अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है न ही कोई सम्बन्ध है। ीया अपनी भूमि का पहले से ही उक्त भूमि का बंटवारा, पत्थरगढी एवं नेखमबंदी वा चुकी है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 जानबुझकर प्रार्थीया की भूमि को हड़प करने की यत से आये दिन वाद विवाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करने का सवाल ही पैदा ो होता है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार जिसे अप्रार्थी ख्या 1 नामंजुर करता है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या 5 कानूनी है जो गौर दालतवाला के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। बहस यपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि रहद मौजा– फालका, तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 814/1 रकबा 7932 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा उक्त दग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 814 रकबा 0.7932 क्टेयर व अप्रार्थी संख्या 02 की आराजी खसरा नंबर 815 रकबा 0.9146 हैक्टेयर के थ परस्पर पर सीमा बनाती है। जिसके कारण उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा ग्रा की स्थिति को लेकर विवाद होनें से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारान् के ध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही–सही ज्ञान हो। ाजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के ध्य सीमा–विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम ार्थना–पत्र, प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (व्यावर)

कालका, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में स्थित प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 814 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 814 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम व अप्रार्थीगण संख्या 02 की आराजी खसरा नंबर 815 रकबा 0.9146 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के मातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित क्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित रावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित हैं। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित कर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनॉक 19/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)